**न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।**
**सत्र वाद संख्या– 922/2024**
**सरकार बनाम दानिश मेवाती।**
अंतर्गत धारा– 64, 123(1), 351(2), 351(3), 308(2)
भा०न्या०सं० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं० 226/2024
थाना– सिंभावली, जिला– हापुड़।

**आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

**दिनांकः– 29.11.2024**

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्त **दानिश मेवाती** जेरे हिरासत उपस्थित।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त **दानिश मेवाती** के विरुद्ध भा०न्या०सं० की धारा 64, 123(1), 351(2), 351(3), 308(2) व एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va) के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 18.12.2024 को पेश हो।

**दिनांकः– 29.11.2024**

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Honey Goel

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2024.11.29 16:02:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।**
**सत्र वाद संख्या– 922/2024**
**सरकार बनाम दानिश मेवाती।**
अंतर्गत धारा– 64, 123(1), 351(2), 351(3), 308(2)
भा०न्या०सं० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं० 226/2024
थाना– सिंभावली, जिला– हापुड़।

## <u>आरोप</u>

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त **दानिश मेवाती** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

**<u>प्रथम</u>–** यह कि वर्ष 2022 में किसी दिनांक को आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की पुत्री को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया, वादिनी मुकदमा की पुत्री के अश्लील फोटो व वीडियो बनायी तथा उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 64 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**<u>द्वितीय</u>–** यह कि वर्ष 2022 में किसी दिनांक को आप अभियुक्त ने अपराध करने के आशय से वादिनी मुकदमा की पुत्री को नशीला पदार्थ पिलाया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 123(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**<u>तृतीय</u>–** यह कि भिन्न–भिन्न दिनांकों, भिन्न–भिन्न समय व भिन्न–भिन्न स्थानों पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की पुत्री को उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 351(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**<u>चतुर्थ</u>–** यह कि भिन्न–भिन्न दिनांकों, भिन्न–भिन्न समय व भिन्न–भिन्न स्थानों पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की पुत्री को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**<u>पंचम</u>–** यह कि आप अभियुक्त ने वादिनी पक्ष से 20,00,000/– रुपए की मांग की तथा रुपए न देने पर वादिनी की पुत्री के अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 308(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**<u>षष्टम</u>–** यह कि आप अभियुक्त ने वादिनी पक्ष, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, वादिनी की पुत्री को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया, 20,00,000/– रुपए की मांग की तथा रुपए न देने पर वादिनी की पुत्री के अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, तथा अवमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(v) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

**दिनांकः– 29.11.2024**

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

**दिनांकः– 29.11.2024**

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।